

अध्याय-पंचम

सारांश,
निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय - पंचम्

सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1.0 सारांश

निम्न जाति एवं वर्ग के बच्चे अधिकांशतः हीनतर शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित करते पाये गये हैं। इसकी पृष्ठभूमि में निम्नतर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ भाषा का दोषपूर्ण अधिगम भी एक कारण हो सकता है। आदिवासी तथा गैर-आदिवासी विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा का अधिगम की स्थिति क्या है? उनकी भाषा में होने वाली त्रुटियों में कोई अनंतर है या नहीं? उनकी भाषा में होने वाली त्रुटियों में कोई अन्तर है या नहीं? अधिगम में होने वाली कठिनाईयाँ भाषा के कारण होती है।

उपर्युक्त स्थितियों पर विचार करके ही इस शोध आवश्यकता अनुभव की गई।

शोध का शीर्षक

“उच्च प्राथमिक स्तर पर आदिवासी तथा गैर-आदिवासी विद्यार्थियों के हिन्दी भाषा अधिगम में होने वाली त्रुटियों का तुलनात्मक अध्ययन।”

अध्ययन के उद्देश्य

1. आदिवासी तथा गैर-आदिवासी विद्यार्थियों का वाचन संबंधी त्रुटियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. आदिवासी तथा गैर-आदिवासी विद्यार्थियों का लेखन संबंधी त्रुटियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. आदिवासी विद्यार्थियों का वाचन संबंधी त्रुटियों का अध्ययन करना।
4. आदिवासी विद्यार्थियों का लेखन संबंधी त्रुटियों का अध्ययन करना।
5. गैर-आदिवासी विद्यार्थियों का वाचन संबंधी त्रुटियों का अध्ययन करना।

6. गैर-आदिवासी विद्यार्थियों का लेखन संबंधी त्रुटियों का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

- H₀₁ - आदिवासी एवं गैर-आदिवासी विद्यार्थियों के हिन्दी भाषा अधिगम में होनेवाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं है।
- H₀₂ - आदिवासी एवं गैर-आदिवासी बालकों के हिन्दी भाषा अधिगम में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं है।
- H₀₃ - आदिवासी एवं गैर-आदिवासी बालिकाओं के हिन्दी भाषा अधिगम में होनेवाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं है।
- H₀₄ - आदिवासी एवं गैर-आदिवासी विद्यार्थियों के वाचन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं है।
- H₀₅ - आदिवासी एवं गैर-आदिवासी विद्यार्थियों के लेखन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं है।
- H₀₆ - आदिवासी एवं गैर-आदिवासी बालकों के वाचन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं है।
- H₀₇ - आदिवासी एवं गैर-आदिवासी बालिकाओं के वाचन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं है।
- H₀₈ - आदिवासी एवं गैर-आदिवासी बालकों के लेखन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं है।
- H₀₉ - आदिवासी एवं गैर-आदिवासी बालिकाओं के लेखन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं है।

सीमांकन

1. प्रस्तुत शोधकार्य महाराष्ट्र राज्य के धुले जिला के धुले तहसील तक सीमित है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों तक सीमित है।
3. इस शोधकार्य में हिन्दी भाषा के विभिन्न कौशलों में से वाचन एवं लेखन को ही शामिल किया है।

शोध प्रविधि

शोध प्रविधि के अंतर्गत न्यादर्श का चयन, प्रयोग में लाए गए उपकरण, प्रदत्तों का संकलन की विधि को स्पष्ट किया गया है।

शोध में प्रयुक्त चर

1) स्वतंत्र चर

- जाति - आदिवासी, गैर-आदिवासी
- लिंग - बालक, बालिकाएं

2) आश्रित चर

- वाचन, लेखन से संबंधित त्रुटियाँ
- प्रयोग में लाया उपकरण

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

हिन्दी भाषा अधिगम (वाचन एवं लेखन) में होने वाली त्रुटियों के आधार पर तथा मध्यमान (M), मानक विचलन (SD), स्वतंत्रता की कोटी (df), टी (t) परीक्षण, सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

5.2.0 निष्कर्ष

1. आदिवासी विद्यार्थी एवं गैर-आदिवासी विद्यार्थियों के हिन्दी भाषा अधिगम में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अन्तर है। इसलिए यह कह सकते हैं कि आदिवासी विद्यार्थी हिन्दी भाषा अधिगम में अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई अनुभव करते हैं।
2. आदिवासी बालक एवं गैर-आदिवासी बालकों में हिन्दी भाषा अधिगम में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।
3. आदिवासी बालिकाओं एवं गैर-आदिवासी बालिकाओं के हिन्दी भाषा अधिगम में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया है। इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि आदिवासी बालिकाओं की हिन्दी भाषा अधिगम की स्थिति अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है।
4. आदिवासी विद्यार्थी एवं गैर-आदिवासी विद्यार्थियों के वाचन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अन्तर पाया गया है। संक्षेप में कह सकते हैं कि आदिवासी विद्यार्थी गैर-आदिवासी विद्यार्थियों की अपेक्षा वाचन में कमजोर हैं। वाचन करते समय उन्हें कई कठिनाईयाँ अनुभव होती हैं तथा इस वजह से त्रुटियाँ होती हैं।
5. आदिवासी विद्यार्थी एवं गैर-आदिवासियों में लेखन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अन्तर पाया गया है। अतः यह कह सकते हैं कि आदिवासी विद्यार्थी गैर-आदिवासी विद्यार्थियों की तुलना में लेखन में अधिक कठिनाई अनुभव करते हैं।
6. आदिवासी बालकों एवं गैर-आदिवासी बालकों के वाचन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अन्तर पाया गया है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि आदिवासी बालक वाचन में पिछड़े हुए हैं तथा वाचन करते समय उन्हें अपेक्षाकृत अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

7. आदिवासी बालिका एवं गैर-आदिवासी बालिकाओं के वाचन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।
8. आदिवासी बालकों तथा गैर-आदिवासी बालकों के लेखन में होने वाली त्रुटियों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। जहां तक त्रुटियों का सवाल है उन्हें उचित अध्यापन विधि द्वारा कम किया जा सकता है।
9. आदिवासी बालिका एवं गैर-आदिवासी बालिकाओं के लेखन में होने वाली त्रुटियों में सार्थक अन्तर पाया गया है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आदिवासी बालिका लेखन में गैर-आदिवासी बालिकाओं की अपेक्षा कमजोर है।

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा शून्य परिकल्पनाओं का विश्लेषण, व्याख्या करने के पश्चात् उपर्युक्त निष्कर्ष प्राप्त हुए जिनकी कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-

1. विद्यार्थी अनुच्छेद लेखन से यह पाया गया कि जल्दबाजी, लापरवाही तथा नियमित लेखन न करने की आदत के कारण लेखन में कठिनाई अनुभव की गई तथा त्रुटियाँ हुई हैं।
2. अरुचि, असावधानी के कारण मात्रात्मक, बिन्दुगत, चिन्हों इस प्रकार की लेखन त्रुटियाँ सभी विद्यार्थियों ने लगभग की।
3. मातृभाषा, बोलीभाषा प्रभाव तथा उचित वातावरण का अभाव के कारण विद्यार्थियों ने वाचन तथा लेखन में त्रुटियाँ की।
4. विद्यार्थियों को हिन्दी का शुद्ध वर्तनी रूप व्याकरण के नियमों की जानकारी न होने के कारण लेखन त्रुटियाँ हुईं।

5.3.0 सुझाव

1. हिन्दी भाषा वाचन, लेखन की जो त्रुटियाँ विद्यार्थियों द्वारा की गई हैं उनको दूर करने के लिये उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि हिन्दी विषय पढाते समय शब्दों का सही उच्चारण करें। अक्षर व शब्द स्वयं स्पष्ट एवं सुलेख लिखें। कक्षा में चित्र कहानी कविता आदि का प्रयोग करें। विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाईयों को समझें तथा बच्चों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनायें।
2. कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए।
3. शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाषा सशक्त भूमिका निभा सकती है, अतः विद्यार्थियों में वाचन के साथ साथ लेखन कौशल का विकास अनिवार्य है, तभी भाषा अधिगम की समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
4. शिक्षक को हिन्दी पढाते समय पाठ्यपुस्तकों के विषय-वस्तु पर नहीं बल्कि भाषा के कौशलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
5. वाचन के अभ्यास के लिए विद्यार्थियों से कक्षा में सरस्वर वाचन कराना चाहिए तथा बोध के साथ उचित गति से पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए।
6. लेखन के अभ्यास एवं त्रुटियों को दूर करने के लिए लेखन से संबंधित गृहकार्य देना चाहिए एवं प्रत्येक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका में वर्तनी की अशुद्धियों की जांच करनी चाहिए क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों की वर्तनी त्रुटियाँ ही होती हैं।
7. ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन करें जिससे छात्र अपनी वाचन एवं लेखन की त्रुटियों को स्वयं दूर करने का प्रयास करें।

8. हिन्दी विषय से संबंधित कौशलों का अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य जाति पर अन्य कक्षाओं पर भी अध्ययन किया जा सकता है।
9. सामान्य जाति के विद्यार्थियों के साथ-साथ आदिवासी विद्यार्थियों पर भी ध्यान देना चाहिए।
10. कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा वाद विवाद, भाषण, कहानी, नाटक विचार अभिव्यक्ति ऐसी विधाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
11. हिन्दी शिक्षक/शिक्षिका को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
12. अशिक्षित एवं निम्न वर्गीय बालकों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इन परिवारों में भी प्रतिभाएँ जन्म लेती हैं। आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों के बच्चों में भी सृजन की अनेक सम्भावनाएँ हैं अतः ऐसी परिस्थितियों में बालकों में वाचन, लेखन के विकास हेतु सह्यता एवं धैर्य व निष्ठा से कार्य करने की आवश्यकता है।

5.4.0 भावी शोध हेतु सुझाव

1. आदिवासी विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा अधिगम में आने वाली समस्याओं के कारणों का अध्ययन।
2. माध्यमिक स्तर पर आदिवासी विद्यार्थियों का हिन्दी भाषा अधिगम त्रुटियों का अध्ययन।
3. आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा पर उनके रीति-रिवाजों प्रभाव का अध्ययन।
4. प्राथमिक शिक्षकों की हिन्दी भाषा के प्रति अभिरुचि तथा अभिवृत्ति का अध्ययन।

5. आश्रमशाला के विद्यार्थियों के हिन्दी भाषा ज्ञान का अध्ययन।
6. सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का हिन्दी भाषा अधिगम का तुलनात्मक अध्ययन।
7. डी.एड., बी.एड., एम.एड. छात्रों का हिन्दी भाषा में उपलब्धियों का अध्ययन।